

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या- 223/2023  
अनवान : -

1. इन्द्रचन्द लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर तहसील नोहर।
  2. महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर तहसील नोहर।
  3. हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादीगण  
पेरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 11/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चेकदेईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 15/80 की कुल 6.3360 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम क्रमशः इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा0 देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा0 देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा0 देह हाल नोहर दर्ज है जबकि वादीगण के दस्तावेजों में सही नाम क्रमशः इन्द्रचन्द लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा निवासी नोहर, महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर, हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर दर्ज है। इसलिए वादीगण मुताबिक आधार कार्ड के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम व वल्लिदयत दुरुस्त करवा पाने के अधिकारी है।

वर्तमान में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं की सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है गतवर्ष से आजतक राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम सही दर्ज नहीं होने से किसी भी सरकारी योजना का लाभ वादीगण को नहीं मिला है।

वादीगण ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दुरुस्त कर देवें जिस पर प्रतिवादी कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 9842 दिनांक 04.08.23 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम क्रमशः इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम

लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारूराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारू राम लखेरा सा० देह हाल नोहर दर्ज है जबकि वादीगण के दस्तावेजों में सही नाम क्रमशः इन्द्रचन्द लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा निवासी नोहर, महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर, हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर दर्ज है मुताबिक दस्तावेज वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण का सही नाम क्रमशः इन्द्रचन्द लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा निवासी नोहर, महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर, हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में इन्द्रचन्द पुत्र तारू राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारूराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारू राम लखेरा सा० देह हाल नोहर गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग-उपभोग से वंचित है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चेकदेईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 15/80 की कुल 6.3360 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम क्रमशः इन्द्रचन्द पुत्र तारू राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारूराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारू राम लखेरा सा० देह हाल नोहर दर्ज राजस्व रिकार्ड है के स्थान पर इन्द्रचन्द लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा निवासी नोहर, महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर, हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर दर्ज करवाना चाहता। तहसीलदार नोहर, भू०अ० निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चेकदेईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 15/80 की कुल 6.3360 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण का नाम क्रमशः इन्द्रचन्द पुत्र तारू राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारूराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारू राम लखेरा सा० देह हाल नोहर दर्ज राजस्व रिकार्ड है के स्थान पर इन्द्रचन्द

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा निवासी नोहर, महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर, हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम कमशः इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।



(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या- 223/2023  
अनवान : -

1. इन्द्रचन्द लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर तहसील नोहर।

-वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चेकदेईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 15/80 की कुल 6.3360 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण का नाम क्रमशः इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर दर्ज राजस्व रिकार्ड है के स्थान पर इन्द्रचन्द लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा निवासी नोहर, महावीर पुत्र ताराचन्द जाति लखारा निवासी नोहर, हीरालाल लखारा पुत्र ताराचन्द लखारा जाति लखारा निवासी नोहर के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमशः इन्द्रचन्द पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर, महावीर प्रसाद पुत्र तारुराम जाति लखेरा (लखारा) सा० देह हाल नोहर, हीराराम पुत्र पुत्र तारु राम लखेरा सा० देह हाल नोहर नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर